which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1959, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Rehabilitation'."

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

NINETEENTH REPORT

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): I beg to move.

"That this House agrees with the Nineteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th April, 1958.".

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Nineteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th April, 1958.".

The motion was adopted.

RESOLUTION *RE*: IMPOSING OF RESTRICTION ON PERSONS WHO HAD HELD THE OFFICE OF GOVERNOR—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion of the resolution moved by Shri Motilal Malviya on the 28th March, 1958, regarding imposition of restriction on persons who had held the office of Governor.

Out of 1 hour allotted for the discussion of the resolution, 16 minutes have already been taken up, and 44 minutes are left for its further discussion today.

Now, there is an amendment of this resolution by Shri Keshava. That is out of order. He wants an amendment of the Constitution itself. That can be done by a direct motion, that is, a direct Bill and not by any other means. Therefore, it is out of order. There is no other amendment.

Now, Shri Braj Raj Singh. The hon. Member will appreciate that only 44 minutes are left, and since there are a few Members who want to speak, he should be as short as possible.

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मालवीय के प्रस्ताव से सदन को यह अवसर मिला है कि वह इस सम्बन्ध में विचार करे कि जिन व्यक्तियों को एक दफा राज्यपाल बना दिया गया है, उस के बाद उन के जीवन की प्रक्रिया किस तरह चले और वे अपना जीवन किस तरह से ढालें कि जिससे राज्य के हित की रक्षा की जा सके और राज्य की प्रतिष्ठा को कायम रखा जा सके । सम्भवतः श्री मालवीय के मस्तिष्क में यह बात इस तरह आई कि पिछले दिनों श्रमजीवी पत्रकारों के मामले में हमारे देश के सब से बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सुप्रीम कोर्ट में वकील की हैसियत से श्रमजीवी पत्रकारों के खिलाफ खड़े हुए और न सिर्फ इस सदन में बल्कि सारे देश में यह प्रतिक्रिया हुई कि किसी भी भूतपूर्व राज्यपाल के लिये यह उचित नहीं था कि वह इस तरह के मसले पर श्रमजीवी पत्रकारों के खिलाफ वकील की हैसियत से बहस करता । मैं यह नहीं कहता कि वकील का जो मौलिक अधिकार है, उस को वह छोड़ देते—जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, वह एक बड़ा सुन्दर प्रस्ताव है और इस को पास कर देना चाहिये—लेकिन इतना आवश्यक था कि किसी भी भूतपूर्व राज्यपाल को, जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि राज्य के किसी प्रतिष्ठित पद पर रह चुका हो, उस को कोई काम करने से पहले यह सोचना चाहिये कि उस का काम